पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–9] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 24, 1930 शक सम्वत्) [संख्या–24

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	281–289	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	129–130	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	27–29	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड–पत्र आदि	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग

कार्यालय–ज्ञाप

29 अप्रैल, 2008 ई०

संख्या 166/xxvii(7)/2008–वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–1 के प्रस्तर–7 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–13 के परिशिष्टों में क्रमशः वित्तीय अधिकारों तथा लेखा नियमों के प्रयोजनार्थ उन प्राधिकारियों की सूची दी गयी है, जिन्हें शासन द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त कतिपय नये विभागाध्यक्ष भी घोषित किये गये हैं। अतः विभागाध्यक्षों की उक्त सूची को अद्यावधिक करते हुए सलग्न संशोधित सूची निर्गत की जा रही है।

विभागाध्यक्षों की सूची

क्रमांक	विभाग का नाम एवं पता
1.	सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2.	सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3.	समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन/सचिव, मन्त्रिमण्डल एवं सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड।
4.	महापंजीयक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6.	मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7.	आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून/महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8.	अपर निदेशक, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9.	रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10.	निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इन्टरनल ऑडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11.	निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12.	आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13.	अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
14.	निदेशक, खेलकूद निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15.	निदेशक, कला एवं संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16.	निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17.	आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
18.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
19.	मुख्य अभियन्ता सार–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20.	निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
21.	खाद्य आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
22.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
23.	निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, गोपेश्वर।
24.	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
25.	परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
26.	निदेशक, समाज कल्याण, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी।
27.	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
28.	निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
29.	निदेशक, रेशम निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
30.	विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
31.	निदेशक, पंचायत राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
32.	निदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षा दल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रमांक	विभाग का नाम एवं पता
33.	निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
34.	अध्यक्ष, न्यायाधिकरण सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड, देहरादून।
35.	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
36.	महानिरीक्षक, कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
37.	निदेशक, अभियोजन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
38.	निदेशक, सतर्कता निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
39.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
40.	महादेष्टा, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
41.	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
42.	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
43.	निदेशक, होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
44.	निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
45.	निदेशक, नगरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
46.	निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
47.	सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
48.	आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड, देहरादून।
49.	कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
50.	अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
51.	अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
52.	निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
53.	अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
54.	निदेशक, आई०सी०डी०एस०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
55.	अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
56.	निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
57.	निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
58.	निदेशक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
59.	निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
60.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
61.	सचिव, राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं निदेशक, राज्य वित्त आयोग, निदेशालय।
62.	अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
63.	सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
64.	लोकायुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
65.	अधिशासी अधिकारी/निदेशक सूचना, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।
66.	निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
67.	अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
68.	निदेशक, डेयरी विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
69.	महाधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
70.	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
71.	मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, देहरादून।
72.	निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, देहरादून।
73.	निदेशक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी कल्याण संगठन, उत्तराखण्ड।
74.	नियंत्रक, बाट एवं माप, उत्तराखण्ड।
75.	राहत आयुक्त, उत्तराखण्ड।
76.	निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर।
77.	निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
78.	राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर्स।

क्रमांक	विभाग का नाम एवं पता
79.	निदेशक, जलागम प्रबन्धक परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
80.	अध्यक्ष एवं सदस्य, प्रशासकीय प्राधिकरण एवं अध्यक्ष सतर्कता आयोग, उत्तराखण्ड।
81.	निदेशक, राज्य शिक्षा परिषद्, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
82.	स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
83.	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड।
84.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
85.	आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
86.	पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
87.	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
88.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल।
89.	निदेशक, अनुसूचित जनजाति कल्याण, देहरादून।
90.	निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, देहरादून।
91.	निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
92.	निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून।
93.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेडिकल विकास इकाई, उत्तराखण्ड।
94.	महाप्रशासक, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
95.	राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
96.	प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, पौड़ी/एवं अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेज।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त।

गृह विभाग

शुद्धिपत्र

16 मई, 2008 ई०

संख्या 652/XX(2)/147/भूमि हस्ता0/2007—उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0 1096/XX(2)/147/भूमि हस्ता0/2007, दिनांक 29 अक्टूबर, 2007 की अनुसूची में राज्यपाल निम्नवत् संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् —

अनुसूची

त्रुटिपूर्ण अंकन (प्लाट नं0 एवं क्षेत्रफल)					संशोधित अंकन (प्लाट नं0 एवं क्षेत्रफल)	
जिला	परगना	मौजा	प्लाट नं0	क्षेत्रफल (ए0ए0)	प्लाट नं0	क्षेत्रफल (ए0ए0)
पिथौरागढ	सोर	मैथना	14	00—14	14	00—02
		मैथना	45	01—07	45	01—05
		मैथना	1624	00—08	1624	02—08
		मैथना	1643	00—07	1643	01—07
		मैथना	1650	00—12	1650	00—15
		मैथना	1722	00—02	1722	00—01
		योग		190—11 या 9.45 एकड़		193—13 या 9.61 एकड़
		किरीगाव	521	00—01	521	00—11
		किरीगाव	530	00—01	530	00—10
		किरीगाव	536	10—14	536	01—14
		किरीगाव	मुद्रित नहीं हुआ है।		546	06—00
		किरीगाव	548	04—08	548	04—08

त्रुटिपूर्ण अंकन (प्लाट नं० एवं क्षेत्रफल)					संशोधित अंकन (प्लाट नं० एवं क्षेत्रफल)	
जिला	परगना	मौजा	प्लाट नं०	क्षेत्रफल (एन०एम०)	प्लाट नं०	क्षेत्रफल (एन०एम०)
पिथौरागढ	सोर	किरीगाव	573	00–08	576	00–08
		किरीगाव	590	00–04	590	00–12
		किरीगाव	600	00–14	600	00–04
		किरीगाव	609	00–14	609	00–04
		किरीगाव	613	00–12	613	00–02
		किरीगाव	621	00–02	621	00–03
		किरीगाव	639	00–06	639	00–05
		किरीगाव	642	00–04	642	01–04
		किरीगाव	550 / 802	00–10	550 / 802	02–10
		किरीगाव	626 / 808	00–02	626 / 808	00–02
		योग		125–15 या 6.25 एकड़	योग	127–14 या 6.34 एकड़
		सम्पूर्ण योग		316–10 या 15.70 एकड़	सम्पूर्ण योग	321–11 या 15.95 एकड़

उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

आज्ञा से,

एन० एस० नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 652/XX(2)/147/Bhoomi Stha./2007,** dated Dehradun May 16, 2008 for general information

CORRIGENDUM

No. 652/XX(2)/147/Bhoomi Stha./2007—In Schedule of Government of Uttarakhand Notification No 1096/XX(2)/147/Bhoomi Stha./2007, dated 29 October, 2007. The Governor of Uttarakhand is pleased to accord sanction for the following amendments, namely—

SCHEDULE

Wrong Entry (Plot no. and Area)					Amended Entry (Plot no. and Area)	
District	Pargana	Mauza	Plot no.	Area (N-M)	Plot no	Area (N-M)
Pithoragarh	Sour	Methna	14	00-14	14	00-02
		Methna	45	01-07	45	01-05
		Methna	1624	00-08	1624	02-08
		Methna	1643	00-07	1643	01-07
		Methna	1650	00-12	1650	00-15
		Methna	1722	00-02	1722	00-01
		Total		**190-11 or 9.45 Acres**		**193-13 or 9.61 Acres**
		Kingaon	521	00-01	521	00-11
		Kingaon	530	00-01	530	00-10
		Kingaon	536	10-14	536	01-14
		Kingaon	Not	Printed	546	06-00
		Kingaon	548	04-08	548	04-06
		Kingaon	573	00-08	576	00-08
		Kingaon	590	00-04	590	00-12
		Kingaon	600	00-14	600	00-04
		Kingaon	609	00-14	609	00-04
		Kingaon	613	00-12	613	00-02

Wrong Entry (Plot no. and Area)					Amended Entry (Plot no. and Area)	
District	Pargana	Mauza	Plot no	Area (N-M)	Plot no.	Area (N-M)
Pithoragarh	Sour	Kingaon	621	00-02	621	00-03
		Kingaon	639	00-06	639	00-05
		Kingaon	642	00-04	642	01-04
		Kingaon	550/802	00-10	550/802	02-10
		Kingaon	626/809	00-02	626/808	00-02
		Sub Total		**125-15 or 6.25 Acres**	**Sub Total**	**127-14 or 6.34 Acres**
		Total		**316-10 or 15.70 Acres**	**Total**	**321-11 or 15.95 Acres**

The above notification should be considered amended upto that extent.

By Order,

N. S. NAPALCHYAL,
Principal Secretary

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

19 मई, 2008 ई०

संख्या 1508/दीस–1–2008–25(16)/2004 टी०सी०–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा–2005 के आधार पर चयनित श्रीमती दीपाली शर्मा को श्री राज्यपाल महोदय कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कर्णप्रयाग, जनपद चमोली के पद पर वेतनमान रुपया 9000–250–10750–300–13150–350–14550/– में इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यदि श्रीमती शर्मा का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन तथा स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट न्यायिक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पायी जाती है तो उनकी सेवाएं नियमानुसार समाप्त कर दी जायेंगी। श्रीमती शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

23 मई, 2008 ई०

संख्या 161/MM/XXX(2)/2008–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 318 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियमावली, 2008

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह विनियमावली उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियमावली, 2008 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–विनियम 11 के उपविनियम (2) का प्रतिस्थापन–

उत्तरांचल, लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे यहां आगे मूल विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम–11 के उपविनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 पर दिया गया नियम रखा जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 (वर्तमान विनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम)
11 (2) इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष अथवा सदस्य को पेंशन कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय होगी।	11 (2) इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष अथवा सदस्य को पेंशन कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय होगी, परन्तु यह कि अर्हकारी सेवा अवधि की संगणना करने में वर्ष का कोई भाग जो छः माह के बराबर या इससे अधिक हो, को पूरा एक वर्ष गिना जायेगा और पेंशन के लिए उसकी गणना अर्हकारी सेवा के रूप में की जायेगी।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **161/MM/XXX(2)/2008**, dated Dehradun May 23, 2008 for general information

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 161/MM/XXX(2)/2008--In exercise of the powers conferred by clause (b) of Article 318 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Uttarakhand Public Service Commission (Condition of Service) Regulations, 2004.

THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (CONDITION OF SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2008

1. Short title and Commencement–

(1) These regulations may be called the Uttarakhand Public Service Commission (Condition of Service) (Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come in to force at once.

2. Substitution of sub regulation (2) of regulation 11--

In the Uttarakhand Public Service Commission (Condition of Service) Regulations, 2004 (herein after referred and as the principal regulations). The following sub regulation (2) of regulation 11 as set out in Column 1 shall be substituted by the following rule as set out in Column 2 below, namely

Column 1 (Existing Regulation)	Column 2 (Regulation as hereby substituted)
11(2) Under these regulations pension to the chairman or the member shall be admissible on completing at least two years service.	Under these regulations pensions to the chairman or the member shall be admissible on completing at least two years service, Provided that in calculating the qualifying service any part of the year equal to six month or more shall be considered full one year and it would be counted as qualifying service for the purpose of pension.

By Order,

SUBHASH KUMAR,
Principal Secretary

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति / पदोन्नति

14 मई, 2008 ई०

संख्या 149 / XXVII(6) / 2008–तात्कालिक प्रभाव से कोषागार निदेशालय के अन्तर्गत वित्तीय सांख्यिकीय प्रभाग में वेतनमान रु० 8000–275–13500 में कार्यरत श्री मोहन लाल, प्रोग्रामर, को नियमित चयनोपरान्त उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य प्रोग्रामर, वेतनमान रु० 10000–325–15200 के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, विरा।

नियोजन विभाग

शुद्धिपत्र

19 मई, 2008 ई०

संख्या 86 / XXVI / दो(9) / 2004–नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 72 / XXVI / दो(9) / 2004, दिनांक 07 मई, 2008 द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित परिवीक्षाधीन अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की स्थाई तैनाती के आदेश निर्गत किए गए थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2008 को निम्नवत् संशोधित समझा जाय :–

कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–1 की तीसरी पंक्ति में 13 परिवीक्षाधीन अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की तैनाती का उल्लेख किया गया है। 13 अर्थ एवं संख्या अधिकारियों में से 02 अर्थ एवं संख्या अधिकारियों के वर्तमान में राष्ट्रीय वित्त प्रबन्धन संस्थान, फरीदाबाद में अध्ययनरत होने तथा एक अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण केवल 10 अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की तैनाती की गई है।

कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–2 के सन्दर्भ में समाज कल्याण निदेशालय, हल्द्वानी में तैनात अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्री राजेन्द्र तिवारी का वेतन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के स्थान पर बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग में रिक्त शोध अधिकारी के पद के सापेक्ष आहरित किया जाएगा।

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2008 में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राधा रतूड़ी,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / तैनाती

21 मई, 2008 ई०

संख्या 329 / XXVII(8) / वाणिज्यकर / 2008–माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में उत्तरांचल (उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 54 की उपधारा (2) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर श्री राम कृष्ण के स्थान पर श्री सन्देश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल को तत्काल प्रभाव से तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

अधिसूचना

05 जून, 2008 ई0

संख्या 2199/X–3–2008–13(5)/2000 टी0सी0 'क'–केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) (ए) तथा केन्द्रीय वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की संगत धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती विभा पुरी दास, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को, अधिसूचना जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर अंशकालिक तौर पर, नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री सुब्रत विश्वास जो वर्तमान तक अध्यक्ष उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर नियुक्त हैं, द्वारा अध्यक्ष पद का कार्यभार श्रीमती विभा पुरी दास को तत्कालिक प्रभाव से हस्तान्तरित किया जायेगा तथा श्रीमती दास द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों अथवा अन्य किन्ही संगत अधिनियमों/नियमों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

05 जून, 2008 ई0

संख्या 2200/X–3–2008–13(5)/2000 टी0सी0 'क'–केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4(2) (एफ) तथा केन्द्रीय वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की संगत धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुब्रत विश्वास, सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जो वर्तमान तक पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं, को अधिसूचना जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर नियुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त नियुक्ति के फलस्वरूप श्री विश्वास द्वारा अध्यक्ष उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद का कार्यभार श्रीमती विभा पुरी दास को तत्कालिक प्रभाव से हस्तान्तरित किया जायेगा तथा श्री विश्वास द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों अथवा अन्य किन्ही संगत अधिनियमों/नियमों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुब्रत विश्वास,

सचिव।

नियोजन विभाग

शुद्धि पत्र

02 जून, 2008 ई0

संख्या 90/XXVI/दो(9)/2004–नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 72/XXVI/दो(9)/2004, दिनांक 07 मई, 2008 तथा अनुवर्ती शुद्धिपत्र संख्या 86/XXVI/दो(9)/2004, दिनांक 19–05–08 द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनित 10 अर्थ एवं संख्याधिकारियों के तैनाती के आदेश निर्गत किये गये हैं।

तद्नुसार यह अवगत कराया जाना है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक–10 पर अंकित श्री अमित वर्मा, जिन्हें वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अनुरोध पर वित्त विभाग में तैनात किया गया है, का वेतन वित्त विभाग के अन्तर्गत बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में सृजित शोध अधिकारी के पद के सापेक्ष आहरित किया जायेगा।

उक्त सदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2008 तथा शुद्धि पत्र दिनांक 19 मई, 07 में अंकित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

राधा रतूड़ी,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 24 हिन्दी गजट/415–भाग 1–2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 24, 1930 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 04, 2008

No. 127/UHC/XIV/73/Admin.A--Sri Kanwar Amninder Singh, the then Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal now posted as Joint Director, Uttarakhand Judicial And Legal Academy, Bhowali, Distt. Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 24 days w.e.f. 02.05.2008 to 25.05.2008.

By Order of the Court,

Sd./-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 05, 2008

No. 128/UHC/Admin. A/2008--Sri Bindhyachal Singh, Chief Judicial Magistrate, Hardwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Bageshwar vice Sri Anuj Kumar Sangal.

June 05, 2008

No. 129/UHC/Admin. A/2008--Sri Anuj Kumar Sangal, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Hardwar vice Sri Bindhyachal Singh.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd./-

V. K. MAHESHWARI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 06, 2008

No. 130/UHC/XIV/63/Admin.A--Ms. Neetu Joshi, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, is hereby sanctioned medical leave for 04 days *w.e.f.* 12.05.2008 to 15.05.2008.

June 06, 2008

No. 131/UHC/XIV/71/Admin.A--Smt. Neena Agarwal, 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 13.05.2008 to 16.05.2008.

By Order of the Court,

Sd./-

PRASHANT JOSHI,

Registrar (Inspection).

पी०एस०यू० (आर०ई०) 24 हिन्दी गजट/415—भाग 1-क—2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवं प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या [illegible]

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 जून, 2008 ई0 (ज्येष्ठ 24, 1930 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, टिहरी, टिहरी गढ़वाल

08 मई, 2008 ई0

संख्या 809/गृहकर आरो0/नियमावली/2007–2008–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, सन् 1916) की धारा 298 (2) एवं धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अधीन नगरपालिका परिषद्, टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमान्तर्गत गृहकर अधिरोपण करने के सम्बन्ध में नियमावली बनायी गयी। उक्त एक्ट की धारा 301 के अन्तर्गत पत्र संख्या–62/नपा0/गृहकर उपविधि/प्रकाशन/2007–2008, दिनांक 27 अप्रैल, 2007 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित की गई। नियत अवधि के अन्दर पालिका परिषद् को कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतएव गृहकर नियमावली को अन्तिम रूप दिया जाता है जो उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

गृहकर नियमावली, 2008

नगरपालिका परिषद्, टिहरी, टिहरी गढ़वाल

1–(क) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, टिहरी गृह–कर नियमावली कहलाऐगी।

(ख) इस नियमावली में गृहकर को आगे "कर" कहा गया है।

2–इस नियमावली में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(2) "वार्षिक मूल्य" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 एवं 145 की उपधारा (1) में तद्‌विषयक दी गई परिभाषा से है।

(3) "नगर" का तात्पर्य टिहरी नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र से है।

(4) "गृह–कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के अन्तर्गत भवनों अथवा भूमियों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर "कर" से है।

(5) "गृह–कर अनुसूची" का तात्पर्य दर अनुसूची से है जिसके अनुसार "कर" आरोपित किया जायेगा।

(6) "नगरपालिका" का तात्पर्य टिहरी की म्युनिसिपैलिटीज से है।

(7) "बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका से है और इसमें प्रत्येक दशा में जहां बोर्ड (पालिका) पर शक्ति प्रदान की गई प्रदर्शित है या कर्तव्य आरोपित किया गया है, पालिका के द्वारा नियुक्त की गई समिति और कोई सदस्य, अफसर या पालिका का कर्मचारी, जिसको इस एक्ट द्वारा या उसके अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करने या कर्तव्य का पालन करने का अधिकार प्राप्त है, सम्मिलित होंगे।

(8) "समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 104 के अधीन गठित समिति से है।

(9) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका से है।

(10) "भवन" का तात्पर्य मकान, घर के बाहर के कक्ष, अस्तबल, सायबान झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान, या ढांचा है, चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य किसी वस्तु का बना हो और चाहे वह मनुष्यों के रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे, मकान की कुरसिया, जीना, दरवाजे, सीढ़िया, दीवारें जिनके अन्तर्गत मकान से न लगे हुए बाग या कृषि भूमि की अहाते की दीवार को छोड़कर अहाते की दीवार सम्मिलित है परन्तु इसके अन्तर्गत तम्बू या ऐसा ही वहनीय अस्थायी छप्पर सम्मिलित नहीं है।

(11) "अहाता" का तात्पर्य उस भूमि से है, चाहे वह घिरी हो अथवा नहीं, जो कि एक भवन से अनुबन्ध हो या अनेक भवनों की सामान्य अनुबन्ध हो।

(12) "स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि किसी भूमि या भवन का तत्समय किराए या किराए का भाग लेता हो या लेने का अधिकारी हो, चाहे वह स्वयं अपने हिसाब में, अथवा न्यासी के रूप में अथवा किसी व्यक्ति के अथवा धर्मार्थ अथवा दानार्थ प्रयोजनों के लिए भूमि के एजेन्ट के रूप में अथवा न्यायालय द्वारा या उसके आदेश के अन्तर्गत नियुक्त किए गए आदाता के रूप में अथवा भू-गृहादि किराए पर उठाए जाने की दशा में उसका किराया प्राप्त करने वाले के रूप में किराया लेने का अधिकारी हो।

(13) "भवन का भाग" के अन्तर्गत कोई दीवार, भूमिगत कमरा या मार्ग, बरामदा, स्थिर चबूतरा, कुर्सी जीना या दरवाजे की सीढ़ी है जो किसी वर्तमान भवन से सम्बद्ध हो या उसके अहाते के भीतर बनी हो या जो किसी भूमि पर बनी हो जो प्रक्षेपित भवन का स्थल या अहाता होने वाली हो।

3–रेलवे स्टेशनों, होटलों, कॉलेजों, स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों एवं अन्य इसी प्रकार के भवनों के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य का अर्थ भवनों के बनाने के वर्तमान अनुमानित मूल्य और इन भवनों की भूमि के अनुमानित मूल्य के योग का 5 प्रतिशत है।

4–शब्द भवन में अहाता और जबकि एक ही अहाते में कई भवन हों तो सारे ऐसे भवन शामिल है और तमाम ऐसी खुली हुई जगह, जो काश्तकारी के अलावा दूसरे काम में आती हो, शामिल है।

5–कर दो बराबर किस्तों में दिया जायेगा। यह किस्तें पहली अप्रैल और पहली अक्टूबर को वाजिब होंगी, परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहे तो किस्तें वाजिब होने की तारीख से पहले भी दे सकता है।

6–कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की एसेसमेन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो, उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

7–जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज किया जावे तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी, जिसको बोर्ड ने यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 143 (3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किस का नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय इसे रद्द न कर दे।

8–(1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जावे तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जावे वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना बोर्ड को अथवा अधिशासी अधिकारी को देनी होगी।

(2) यदि किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, मर जाय तो उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

9–(1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिए जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गई हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर कोई लिखी गई है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई० के अनुसार ली गई हो, पेश करेगा।

10–यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किराएदार रहते हों, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग-अलग एक नोट में दर्ज किया जावे और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है या किराए के 90 दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जावे जो कि उक्त एक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता।

शास्ति

यू०पी० म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियम 8 व 9 के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड मिलेगा जो 1,000.00 रुपये (एक हजार रुपया) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो 25 रु० प्रति दिन तक हो सकता है।

गृह-कर अनुसूची

(देखिए नियम 7 (5))

टिहरी नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत समस्त भवन तथा भूमियों के वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से कर लिया जायेगा परन्तु निम्नलिखित भवन/भूमि अथवा उनके भाग इस कर से मुक्त रहेंगे :–

1–मन्दिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, धर्मशाला अथवा दूसरे धार्मिक तथा दान की संस्थाओं के स्थान जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हों, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर देने के कार्य में आवेंगे, उन पर यह कर की छूट का नियम लागू नहीं होगा।

2–अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय तथा इस प्रकार के अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्ति हो और उन्हीं संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्य में आती हो।

3–नगरपालिका परिषद्, टिहरी की समस्त भवन सम्पत्ति।

अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, टिहरी,
टिहरी गढ़वाल।

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, टिहरी,
टिहरी गढ़वाल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 24 हिन्दी गजट/415 भाग 6-2008 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।